

18.1.18 पत्रावली पेश हुई वकूलाय फरिक्केन उपस्थित ।  
 विपक्षीय ॥ की दोर से जवाब पेश छिप जिस्से  
 शा. का छिपा गया । एकपति वादी हाधिकरता को दी  
 बर्र। वास्ते आग्रिग कार्रवाही हेतु पत्रावली छिपत  
 दिनांक 8.2.18 को पेश हो।

8.2.18 पत्रावली पेश हुई वकूलाय फरिक्केन उपस्थित ।  
 उग्रपक्ष बहस आगन्दा करना चाहते हैं अवसर  
 दिया जाता है वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक  
 16.2.18 को पेश हो।

16-2-18 पत्रावली पेश हुई । वकूलाय फरिक्केन उपस्थित ।  
 उग्रपक्ष को बहस सुनी गयी । उग्रपक्ष को बहस की  
 बहस के दौरान उग्रपक्ष को बताया गया कि प्रार्थना  
 पत्र अलग लिखा चारा 111-128 से अंकेल आता  
 रजिस्टार पत्र रजालेदार का कदम ही नहीं  
 होकर अग्नि विद्युत ले गयी है । अतः प्रार्थना  
 पत्र रजालेदार को भेजा है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रा. का  
 अलग लि 111-128 का रजालेदार किया जाता  
 है । पत्रावली को बहस सुनाया होकर जम्मा  
 ले कम है । निर्णय सर्व इजलास सुनाया  
 गया ।

उपखण्ड अधिकारी  
 गंडस जिला भीलवाड़ा

दिनांक 18/2/18  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 भीलवाड़ा